

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2020 — भाद्रपद 9, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 17-5/2019/एक-13. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों के प्रपत्र में,-

प्रपत्र 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

**“प्रपत्र 3
(नियम 17 देखिये)**

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रपत्र

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम

माह वर्ष

स. क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा, जिसके लिये आवेदन दिया गया है	आवेदन स्वीकृत/ अस्वीकृत	आवेदन प्राप्ति की तारीख	निश्चित की गई समय-सीमा की अंतिम तारीख	सेवा प्रदाय किये जाने की तारीख	सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख एवं विवरण (8)”
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 17-5/2019/एक-13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 17-5/2019/एक-13, दिनांक 31-8-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 31st August 2020

NOTIFICATION

No. F 17-5/2019/1-13. — In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee (Avedan, Appeal tatha Parivyaya ka Bhugtan) Niyam, 2011, namely :-

AMENDMENT

In Form of the said rules,-

For Form 3, the following shall be substituted, namely :-

**“FORM 3
(See rule 17)**

Form of register to be maintained in the office of designated Officer

Name of the office of the designated Officer

Month Year

S. No.	Name and address of applicant	Services for which the application is given	Application allowed/ dis-allowed	Date of receipt of application	Last date of the stipulated time limit	Date of providing service	Date and details of the order passed by the Competent Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.